

कुल भूमि----- कनाल/बिघा----- मरला/बिस्वा----- बिस्वांसी
स्थित तहसील ----- जिला ----- जो अनुसूची मे दर्शाया गया है, जिसका
में मालिक व काबिज हूं । जिस पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है । अनुसूची मे
दर्शाई गई भूमि पर किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी बैंक या सरकारी अथवा गैर
सरकारी संस्था से प्राप्त नहीं किया हुआ । संबंधित भूमि किसी नीलामी व कुर्की आदि
मे शामिल नहीं है । संबंधित भूमि को आज से पहले किसी प्रकार से रहन-बैय-हिब्बा
व अन्य तरीके पर हस्तान्तरित नहीं किया गया है । भूमि को विक्रय करने की बावत
किसी प्रकार की कोई रूकावट किसी विभाग या किसी न्यायालय की नहीं है । भूमि
को हर प्रकार से रहन, बैय-हिब्बा व अन्य तरीके पर बैय करने का/की अधिकारी हूं
। अपने आत्म ज्ञान तथा प्रसन्न चित से बिना किसी दबाव व बहकाव के कुल
भूमि----- कनाल/बिघा----- मरला/बिस्वा----- बिस्वांसी
स्थित----- तहसील ----- जिला ----- जो अनुसूची मे दर्शाया गया है,
को सभी मालिकाना हकूक कब्जा सहित द्वितीय पक्ष को जो उपर दर्शाया गया है कुल
----- रूपये जिसके आधे ----- रूपये होते हैं, को विक्रय/बैय कर दी है ।
कुल कीमत ----- रूपये मे से -----रूपये नकद/
द्वारा पहले पेशगी के तौर पर इकरार नामा दिनांक ----- द्वारा प्राप्त कर लिये
है । बकाया ----- रूपये आज दिनांक ----- नकद/बैंक चैक.....
.....
..प्राप्त कर लिये है । अब
कुछ भी लेना बाकी ना रहा है । विक्रय सम्पति पर कब्जा व दखल क्रेता मोक़े पर
कराकर उसको पूर्ण रूप से अपना जैसा मालिक व काबिज बना दिया है । विक्रय
सम्पति से अब बाया का कोई ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का ना रहा है । यदि
विक्रय सम्पति में बाया या कोई हकदार किसी प्रकार का झगड़ा करेगा या विक्रय
सम्पति किसी नुक्स कानूनी या वाक्याती की वजह से मलकियत क्रेता से निकल
जावेगी तो उस सुरत मे उसकी पैरवी, जबाव देही, हरजा, खर्चा व वापसी कुल कीमत
सब बजिम्मे बाया होगा/ होगी । कुल खर्चा बैयनामा इलावा कीमत के क्रेता ने अपने
पास से लगाया है ।

अतः यह बैयनामा निष्पादित /लिख दिया है कि बतौर साक्षी प्रमाण रहे /सनद रहे ताकि समय पर काम आये । दिनांक-----

अनुसूचि

खेवट/खतौनी/खसरा न० ----- तादादी----- कनाल----- मरला/विघा-----
बिस्वा का-----..... हिस्सा क्षेत्रफल ---- कनाल-----मरला/बिघा-----
बिस्वा----- वर्ग गज----- वर्गमीटर स्थित गांव/शहर----- हदबस्त न०-----
तहसील-----जिला----- जमाबन्दी वर्ष -----

साक्षी(1)

विक्रेता

साक्षी(2)

क्रेता